

परिपत्र/CIRCULAR

विषय/ Sub: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण  
समिति / Committee for Prevention and Redressal of Sexual Harassment of  
Women at Workplace  
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम  
और निवारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती ऋचा दुबे, अधिकारी (मा.सं) - उप प्रबंधक
2. श्री राहुल आनंद, प्रबंधक (मा सं) - सदस्य
3. श्रीमती गरिमा शर्मा, सहायक अधिकारी (मा.सं)-1- सदस्य
4. श्रीमती रिया कुमारी,- बाह्य सदस्य

उपरोक्त समिति, महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत  
समिति के रूप में कार्य करेगी

The Competent Authority has constituted a committee for Prevention Redressal  
of Sexual harassment of women at Workplace consisting of following  
members:-

1. Mrs. Richa Dubey, Deputy Manager (HR) -Chairperson
2. Mr. Rahul Anand, Manager (Legal)-Member
3. Mrs Garima Sharma, Assistant. Officer (HR)-1-Member
4. Ms.Riya Kumari, Adv. (Delhi High Court), Member in NGO.

The above committee shall function as a Complaints Committee to complaints  
received from women employees regarding sexual harassment at workplace.

एस.के.सुधांशु  
एस.के.सुधांशु(S.K Sudhansu)  
अपर महा प्रबंधक(मा.सं)

- 1.श्रीमती ऋचा दुबे (सं.मा) उप प्रबंधक , Mrs. Richa Dubey, Deputy Manager (HR)
2. श्री राहुल आनंद) प्रबंधक, विधि(Mr. Rahul Anand, Manager (Legal)
3. श्रीमती गरिमा शर्मा, सहायक अधिकारी (मा.सं)-1/Mrs Garima Sharma, Jr. Officer
4. श्रीमती रिया कुमारी,- बाह्य सदस्य

प्रतिलिपि/Copy

1. विभागाध्यक्ष-मुख्यालय/HOD'S- CO
2. नोटिस बोर्ड/Notice Board.